न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
48 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	22.07.2024	05.09.2024

डॉ. मदन लाल गुर्जर, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री हरिराम जाट पुत्र श्री उद्दा लाल जाट एफ0बी0ओ0 मैसर्स महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मोडियाला तह. टोडारायसिंह हाल तह0 टोंक जिला टोंक राज0 निवासी मोडियाला ढाणी कैलाशपुरा पोस्ट खरेडा तह. टोडारायसिंह हाल तह. टोंक जिला टोक राज0

.....अप्रार्थी

जुर्म धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी हरिराम जाट स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–:

दिनांक 05.09.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 05.07.2022 को समय 09:11 एएम पर स्थान खेडा अमीरपुर तह व जिला टोंक पर पहुँचा वहाँ पर एक मोटर साईकिल आर जे 26 एस सी 5167 टीवीएस स्टार पर एक दूध विकता आता हुआ दिखा। उसके पास दूध से भरे 2 ड्रमों में लगभग 30–30 लीटर मिश्रित दूध वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु भरा हुआ था, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर दूध विकता ने स्वयं का नाम श्री हरिराम जाट पुत्र श्री उद्दा लाल जाट एवं मैसर्स महिला दुग्ध सहकारी समित कोडियाला तह. टोडारायसिंह जिला टोंक का सचिव होना बताया एवं ड्रमों में रखा हुआ दूध भैंस,गाय,कबरी का मिश्रित दूध होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आम जनता को विकय हेतु ड्रमों में रखे दूध को देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री हरिराम जाट पुत्र श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उददा लाल जाट को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर दूध विकता श्री हरिराम जाट एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **मिक्सड मिल्क(Mixed Milk)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 2 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्सड मिल्क(Mixed Milk)** 2 लीटर में से 500–500 एम.एल. दूध बराबर–बराबर को अलग–अलग चार साफ व सूखे शिशियों में प्रत्येक शिशी में बतौर बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियामनुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3212 दर्ज कर, विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3212 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1981 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं एल0एस0/2311/एक्ट/2022 /2336 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार विकेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **मिक्सड मिल्क(Mixed Milk) अवमानक (Sub-Standard)** व **बाह्य अपद्रव्य(Extraneous Matter)**स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री हरिराम जाट स्वयं उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि वह बहुत छोटे स्तर पर कार्य करता है। दूध सही था उसमें किसी तरह की मिलावट/बाहस अपद्रव्य नहीं मिलाया गया था। ड्रमों में रखा दूध भैंस/गाय/बकरी का मिश्रित दूध था जिसमें केवल फेट कम पायी गई है। अतः प्रकरण का निस्तारण न्यूनतम शास्ति के साथ किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सड मिल्क(Mixed Milk)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard) व बाह्य अपद्रव्य(Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सड मिल्क(Mixed Milk)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard) व बाह्य अपद्रव्य(Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.09.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0